

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी प्रकाश सिंह एवं मोहरश्री सहित श्री जी.एस.
गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध
क्रमांक 183/2017 अन्तर्गत धारा 308, 506 भाग।।
सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के
अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्षण के सम्बन्ध में
किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त
दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के
अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि
दिनांक :- 18/07/2017 की दोपहर लगभग 02:00 बजे
फरियादिया श्रीमती रीमा देवी यादव की ससुराल का ऑगन, वार्ड
क्रमांक 14 लौहारपुरा मौ में, आरोपीगण द्वारा फरियादी रीमा देवी
की पौंच माह की पुत्री अंशिका को जान से मारने के आशय से
तम्बाकू खिलाकर मारने का प्रयास करने एवं जान से मारने
की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रीमा देवी द्वारा उसी
दिनांक को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के
विरुद्ध अपराध क्रमांक : 183/17 अन्तर्गत धारा 308 एवं 506
भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना
रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। फरियादी रीमा, मनीषा एवं पवन के
धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का
नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर
गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी रीमा, साक्षीगण पवन,
मनीषा, सुनील एवं डॉ.कृष्णा के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी
प्रकाश का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया
गया। आरोपी प्रकाश से एक 315 बोर लाईसेंसी बन्दूक जब्त कर
जब्ती पंचनामा बनाया गया और उक्त आयुध की जब्ती के आधार
पर धारा 30 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। विवेचना
के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 308

एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं 30 आयुध अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 308 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराधों में से धारा 308 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रतिभूति पर मुक्त है। आरोपीगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि दिनांक : 09/02/2018 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी. गोहद